

महोदय/ महोदया,

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिजर्व वेंक्ष की संपूर्ण स्थामित्ववासी सहयोगी: Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

DICGC/IOD/05.61.999/283/2015-16 नि.बी.प्र.गा.नि./बी.प.वि./05.61.999/283/2015-16 सभी बीमाकृत बैंक April 21, 2015 अप्रैल 21, 2015

All Insured Banks
Dear Sir/Madam,

निक्षेप बीमा प्रीमियम पर सेवाकर में वृद्धि

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने यूनियन बजट-2015-16 में सेवाकर की दर को 12.36% से बढ़ाकर 14% करने तथा इसमें आगे 2% का "स्वच्छ भारत उपकर" जोड़ने का एक सक्षम प्रावधान के प्रस्ताव की घोषणा की है।उक्त बदलाव वित्तीय बिल 2015 के अधिनियमन के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

अतः सभी बीमाकृत बैंकों को यह निर्देश दिया जाता है कि सेवाकर विभाग द्वारा सेवाकर संशोधन की घोषणा पर ध्यान दें और जैसे व जब भी लागू हो जमा प्रीमियम पर संशोधित सेवाकर भेजने की तैयारी रखें।

सेवाकर विभाग द्वारा जमा प्रीमियम पर सेवाकर की संशोधित दर की घोषणा किए जाने के बाद भी यदि कोई बीमाकृत बैंक कम भुगतान करता है तो सेवाकर की कमी पर दण्डात्मक ब्याज की माफी के लिए अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Hike in Service Tax- Deposit Insurance Premium

Ministry of Finance, Government of India, in the Union Budget 2015-16 has proposed to increase in service tax rate from 12.36% to 14% with an enabling provision to increase it further by 2% towards 'Swachh Bharat Cess'.

Therefore, all insured banks are advised to look out for the announcement of the revised service tax by the Service Tax Department and be in readiness to remit the revised service tax on deposit premium on deposit as and when applicable.

In case of any insured banks making short payment of service tax after announcement of the revised rate by the Service Tax Department, request for waiver of penal interest on shortfall of service tax will not be considered in any case.

भवदीय Yours faithfully

(डी.पानमेई D. Panmei)

उप महाप्रबंधक Deputy General Manager

प्रधान कार्यालय : आरतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

दुरभाष : 022-2306 9675 फैक्स: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

HEAD OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-2301 9675 Fax: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।